संख्या-01 /2021/2538जेएल/22-3-2020-100(107)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 13 जनवरी, 2021*

विषय- जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28868/सामा-1(7)/अंगद राय/सोनभद्र/2020, दिनांक 20-11-2020 में की गयी संस्तुति एवं पत्र संख्या-31143/सामा-1(7)/अंगद राय/सोनभद्र/2020, दिनांक 18-12-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार सोनभद्र में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अंगद राय पुत्र सर्वदेव राय को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार बरेली में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या- 01/2021/2538जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं कानून व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, सोनभद्र/बरेली।
4- पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सोनभद्र/बरेली।
5- अधीक्षक, जिला कारागार सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी के केन्द्रीय कारागार बरेली में स्थानान्तरित/दाखिल होने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार बरेली।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।